बिहार पत्रकार सम्मान योजना

चर्चा में क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री **नीतीश कुमार** ने [बिहार पत्रकार सम्मान योजना (BPSS)] के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिये [पेंशन] में बढ़ोतरी की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन में वृद्धि**
  - **BPSS** के तहत मासिक **पेंशन** 6,000 रुपए से बढ़ाकर **15,000 रुपए** कर दी गई है।
  - **पेंशनभोगी** की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों/जीवनसाथी को अब **10,000 रुपए प्रतिमाह** मिलेंगे, जो पहले **3,000 रुपए** थे।
  - इस योजना में लोकतंत्र के [चौथे स्तंभ] के रूप में **पत्रकारों** की **महत्त्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता दी गई तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी **गरिमा** के प्रति राज्य की **प्रतिबद्धता** दोहराई गई।
- **पत्रकारों की पात्रता**
  - संशोधित पेंशन बिहार सरकार के साथ पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों पर लागू होती है, जो योजना के तहत निम्नलिखित **पात्रता मानदंडों** को पूरा करते हैं:
    - आवेदक बिहार का **निवासी** होना चाहिये।
    - पत्रकारिता में **20 वर्ष का अनुभव** रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार पात्र हैं।
    - योजना का लाभ उठाने के लिये आवेदक की आयु **60 वर्ष** होनी चाहिये।
    - [पत्रकार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD)] द्वारा **मान्यता प्राप्त** होना चाहिये तथा **प्रमाण-पत्र** राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-patrakar-samman-scheme